Municipal Corporation Bhilai

FAQ

1. How to apply for RTI application?

The RTI Act prescribes a very simple procedure for obtaining information. It requires:

Step 1. - Writing an application specifying the particulars of the information sought.

<u>Step 2.</u> - Submitting the evidence of payment of application fee along with the application.

<u>Step 3.</u> - Sending the application to the concerned Public Information Officer /Assistant Public Information Officer.

2. How to search property details?

For searching property details go to online services section in website and the click on to property tax. By typing your property id you can search your property details.

3. What is the procedure for building permission?

For taking building permission prefer our link bpms.sudacg.in. For more details you can consult with our building permission department.

4. How to apply for birth, death, marriage, trade license etc certificate?

For any kind of public facilities like birth, death, marriage certificate nigam has establishes Lok Seva Kendra. In Lok Seva Kendra you can take the facilities of birth, death, marriage & other kind of certificates.

5. How we can see tenders of Nigam?

In website home page go to tenders section. From there you can see all kind of tenders & amendment information from our zone office including main office. For E tendering system you can prefer below website:

https://eproc.cgstate.gov.in/

6. How can I see my water tax details?

For seeing water tax details you can select online services from our website. By searching your account by your connection no or name you can find out your water tax details.

भिलाई-दुर्ग द्वारा स्थायी लीज पर दी गई भूमि के हस्तांतरण के अनुमित / नामांतरण की प्रक्रिया की जानकारी

हस्तांतरण हेतु विहित प्रारूप में आवेदन पत्र, आवष्यक अभिलेख एवं हस्तांतरण शुल्क, ईष्तहार शुल्क जमा कर प्रस्तुत करना होता है।

- (क) विरासत के कारण हस्तांतरण के प्रकरण :--
 - 1. मूल लीज-डीड।
 - शपथ पत्र जिसमें समस्त वारिसानों के नाम पता दर्षाये गए हों, फोटो सिहत।
 - 3. मूल लीज-डीड धारक का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
 - 4. वर्तमान वर्ष तक का सम्मपत्तिकर, भू-भाटक, यूजर चार्ज जमा करने की रसीद की छायाप्रति।
 - 5. ईष्तहार षुल्क रूपये 1000.00 जमा करने के रसीद की छायाप्रति।
 - 6. परिचय पत्र। विरासत के कारण होने वाले हस्तांतरण में हस्तांतरण षुल्क देय नही है।
- (ख) क्रय- विक्रय द्वारा हस्तांतरण के संबंध में :-
 - 1. निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र।
 - 2. मूल लीज-डीड।
 - 3. क्रेता- विक्रेता का शपथ पत्र फोटो सहित।
 - 4. विक्रय का अनुबंध।
 - 5. वर्तमान वर्ष का सम्मपत्तिकर, भू—भाट, यूजर चार्ज एवं भवन छतिपूर्ति जमा करने की रसीद छायाप्रति।
 - 6. हस्तांतरण षुल्क बाजार मूल्य का 10 प्रतिषत जमा करने की रसीद की छायाप्रति।
 - 7. परिचय पत्र, क्रेता एवं विक्रेता।

इसमें से कोई भी दस्तावेज नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

पूर्ण रूप से तैयार आवेदन पत्र काउन्टर में प्रस्तुत करना होता है, काउन्टर से आवेदन पत्र संबंधित विभाग को प्राप्त होने पर इस प्रकार के प्रकरण संकलित कर ईष्तहार का प्रकाषन कराया जाता है। ईष्तहार का प्रकाषन के बाद 15 दिन के भीतर किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर क्रेता—विक्रेता / संबंधित पक्षकारों को आहूत कर उनका षपथ पूर्वक बयान लिया जाता है। किसी भी प्रकार की आपत्ति प्राप्त न होने पर विरासत के प्रकरणों में वारिसान का नाम निगम अभिलेख में दर्ज कर उन्हें सूचित किया जाता है। तथा क्रय—विक्रय या अन्य कारणों से हस्तांतरण के प्रकरण में विभाग द्वारा हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके पष्चात क्रेता—विक्रेता द्वारा उप पंजीयक कार्यालय दुर्ग से हस्तांतरण प्रपत्र का पंजीयन कराकर उसकी फोटो प्रति निगम में प्रस्तुत करते है। किसी भी प्रकार का पुल्क बकाया होने पर उसे जमा कराकर निगम अभिलेख में नामांतरण स्वीकृत कर क्रेता का नाम निगम अभिलेख में दर्ज कर उसे तथा अन्य संबंधितों को सूचित किया जाता है।

For any query/ suggestions mail us on mail@bhilainagarnigam.com